

18.5.18

पत्रावली डाक कॅम्प कोर्ट नांगल में पेश हुई।
पत्रावली का आवेदन किया गया था। (वादीगण
स्वयं प्रतिवादीगण आम नांगल के ग्रामि स्थान-610
के स्वातंत्र्य कारकदार नहीं हैं। (वादीगण द्वारा
प्रस्तुत वाद विधिवत नहीं होने के कारण तथा
आधारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है।
पत्रावली कॅम्पल सुनकर होकर नमूदा से काम
है तथा हारिल फलर हो।

द्वितीय डाक दिनांक 18.5.18 को कॅम्प कोर्ट
नांगल में सुनना था।

उपस्थित अधिकारी
उपस्थित अधिकारी